न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

कैलाश बाई बनाम कन्हैयालाल

किस्म मुकदमा धारा - 223 मि. नं. 2022/28 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.22	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेस्पो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक 05-12-22 को पेश हो । रेस्पोडेंटगण के नोटिस तामील हेतु अन्तिम अवसर डॉ0 अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज0)	R-1 लं0 R-18 तलबी शेष
5.12.22	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक ~~अपीलांट~~ अनुपस्थित ~~उपस्थित~~ । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर / रेस्पो की तलबी करायी जाकर यह पत्रावली दिनांक 10.1.23 को पेश हो । डॉ0 अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	10.1.23
10-01-23	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पुर्व तारीख पेशी दिनांक 11-10-22, 28-11-22, 10-01-23 को भी अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहे है। अभिभाषक अपीलांट को पुर्व में रेस्पोडेंटगण के नोटिस सम्मन तामील जरिये रजि० ए.डी. करवाये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जा चुके है। फिर भी आज दिनांक तक रेस्पोडेंटगण को नोटिस तामील नहीं करवाये गये। अत: ऐसी स्थिति में उक्त अपील पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। डॉ0 अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

22/2/22

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

RAA

श्री चन्द्रमोहन शर्मा एड० द्वारा दि० 28-2-22 को पेश की P.O. साठ की पर किता दी P.O. साठ के समक्ष पेशहेतु

रमेश 28-2-22 रीडर SOCUMRAA Kota

रीडर बाद जांच रिपोर्ट करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)

कैलाश बाई पत्नि अनार सिहं जाति भील निवासी महुआखेडा हाल निवासी रामपुरिया असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

—अपीलांट

बनाम

1— बजरंग लाल आयु 70 साल

2— रामचन्द्र आयु 65 साल

3— गंगाराम आयु 60 साल

4— मोती लाल आयु 48 साल

5— राम सिहं आयु 45 साल

पिसरान भंवरिया जाति भील निवासीगण महुआखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

6— बिल्लू बाई पत्नि राजेश पुत्री भंवरिया आयु 40 साल

7— भंवरी बाई पत्नि रामकिशन पुत्री कान्हा आयु 65 साल

8— मांगी बाई पुत्री कान्हा पत्नि देवी लाल आयु 40 साल

9— धारा सिहं पुत्र कंवरिया आयु 22 साल

10— मोडू लाल पुत्र भीमा आयु 48 साल

11— धनराज पुत्र भीमा आयु 45 साल

निवासीगण महुआखेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

12— कजोडी बाई पुत्री भीमा आयु 40 साल

निवासी बिसलाई, तहसील खानपुर जिला झालावाड

13— कला बाई पुत्री भीमा आयु 25 साल

निवासी झरनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड

14— द्रोपदी बाई पुत्री भीमा आयु 22 साल

निवासी मालनवासा तहसील खानपुर जिला झालावाड

15— नन्द किशोर पुत्र अनार सिहं आयु 22 साल

16— लाड बाई पुत्र अनार आयु 21 साल

निवासीगण महुआखेडा हाल निवासी— रामपुरिया असनावर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

17— शाखा प्रबन्धक महोदय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खानपुर

18— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

——रेस्पोडेन्टस

<u>अपील बनाराजगी निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.11.2019</u>

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड</u>

<u>अपील अन्तर्गत 223 आर.टी.एक्ट</u>

मान्यवर,

अपीलांट निम्न कारणों से अपील प्रस्तुत करती है—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी खिलाफ कानूनन एवं कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी नं 3 अपीलांटा का भी वाद ग्रस्त आराजी मे हक व अधिकार निहित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र वादी नं 1 का 1/126 हिस्सा व वादी नं 2 को 1/126 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जबकि अपीलांटा मृतक अनार सिहं की विवाहिता पत्नि होने के कारण अपीलांटा का भी हिस्सा उपरोक्त आराजीयात मे होने से अपीलांटा को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाना आवश्यक था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सर्व मान्य सिद्धान्तो की अवहेलना की है।

3— यह कि अपीलांटा के पति अनार सिहं घर से अचानक लापता हो गये थे जिसकी आज दिन तक खबर नहीं है यदि अनार सिहं जीवित होते तो स्वाभाविक रूप से उनके बारे मे सुना व देखा होता इतना अन्तराल निकल जाने के बाद उनके जीवित होने की कोई संभावना नहीं रही है इस कारण